Facilities in Kachchi Colonies

64 Sh. BALRAJ KUNDU (Mehem):

Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that many kachchi bastis are being constructed around the Meham city which are neither under the Municipality nor under any Panchayat due to which no facility is being provided in the said kachchi colonies; and

b) If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide facilities in the said kachchi colonies togetherwith the details thereof?

DR. KAMAL GUPTA, URBAN LOCAL BODIES MINISTER, HARYANA

a) The kachchi bastis/kachchi colonies falling outside the municipal limit of Meham are being considered under the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas Outside Municipal Area (Special Provisions) Act, 2021 i.e Act no. 5 of 2022, notified on 17.01.2022 to notify as declared area, so that infrastructure can be provided in these areas.

b) Considering the provisions of Act no. 5 of 2022, total 8 colonies have been identified outside the municipal limit of Meham city, out of which 5 colonies have been notified as declared area & rest 3 are under consideration for notification by Town and Country Planning Department.

कच्ची कॉलोनियों में सुविधाएँ

64 **श्री बलराज कुंडू (महम)ः**

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएगें किः–

(क) क्या यह तथ्य है कि महम शहर के चारों ओर कई कच्ची बस्तियां बनी हुई हैं जोकि न तो नगर पालिका के अधीन हैं और न ही किसी पंचायत के अधीन है जिसके कारण उक्त कच्ची कॉलोनियों में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कच्ची कॉलानियों में सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

डॉ. कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा

(क) महम की नगरपालिका सीमा के बाहर आने वाली कच्ची बस्तियों/कच्ची कॉलोनियां को हरियाणा नागरिक सुखसुविधाओं और अवसंरचना नगर पालिका क्षेत्र के बाहर अपूर्ण क्षेत्रों का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2021 यानी 2022 का अधिनियम संख्या 5 को 17.01.2022 को अधिसूचित किया, ताकि घोषित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा सके।

(ख) 2022 का अधिनियम संख्या 5, के प्रावधानों पर विचार करते हुऐ महम शहर की नगरपालिका सीमा के बाहर कुल 8 कॉलोनियों की पहचान की गई है, जिनमें से 5 कॉलोनियों को घोषित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है और बाकी 3 नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा अधिसूचना के लिए विचाराधीन है।